

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

—: आदेश :—

संचिका संख्या—6/वि०नि०—18—05/2021

पटना, दिनांक:—

श्रीमती रंजना कुमारी वर्मा को बिहार वित्त सेवा में योगदान देने हेतु भारत सरकार के अंतर्गत रेलवे बोर्ड का पत्रांक 2017/ERB7ii/21/1/PT. दिनांक—24.12.2018 के द्वारा सहायक अनुभाग पदाधिकारी के पद से दिनांक—24.12.2018 के अपराह्न से विरमित किया गया था।

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 56—59वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर श्रीमती वर्मा की अनुशंसा बिहार वित्त सेवा के लिए किए जाने के उपरान्त विभागीय अधिसूचना संख्या 7082 दिनांक 11.12.2018 द्वारा उनकी नियुक्ति परीक्ष्यमान राज्य-कर सहायक आयुक्त के पद पर की गयी। उक्त के आलोक में उनके द्वारा दिनांक 26.12.2018 को परीक्ष्यमान राज्य-कर सहायक आयुक्त के पद पर प्रभार ग्रहण किया गया।

वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में दोनों सेवाओं के बीच की अवधि **दिनांक—25.12.2018 का विनियमन** मात्र सेवा में निरंतरता हेतु पद ग्रहण काल के रूप में किया जाता है जो अवैतनिक होगा।

उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/—

(विजय कुमार)

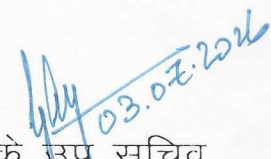
सरकार के उप सचिव,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:—6/वि०नि०—18—05/2021 **2447**

पटना, दिनांक:— **06/07/26**

प्रतिलिपि :— प्रधान महालेखाकार (ले० एवं ह०), का कार्यालय, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गयाजी/राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन), मगध प्रमंडल, गयाजी/राज्य-कर अपर आयुक्त (अंकेक्षण), मगध प्रमंडल, गयाजी/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच० आर० एम० एस०, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर उपायुक्त-सह-एच०आर० मैनेजर (स्थापना), वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्रीमती रंजना कुमारी वर्मा, राज्य-कर उपायुक्त (56—59वीं बैच), अंकेक्षण, मगध प्रमंडल, गयाजी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के उप सचिव,
बिहार, पटना।